

जन सुनवाई विवरण

मैसर्स उग्रसेन सिंगला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 04/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,20,905 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर क्षेत्रफल 55.00 हैक्टेयर तथा कलस्टर में कुल 55 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 22.02.2023 का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव ऑकलन अधिसूचना, क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 एवं Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A,11 (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत मैसर्स उग्रसेन सिंगला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 04/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,20,905 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर क्षेत्रफल 55.00 हैक्टेयर तथा कलस्टर में कुल 55 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में श्री रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर, (जिला कलक्टर, भरतपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2023 को अपराह्न 01:00 बजे, ग्राम राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा, तहसील-पहाड़ी, जिला भरतपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट— 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 19.01.2023 को सांध्य ज्योति दर्पण तथा दिनांक 20.01.2023 को राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भरतपुर द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स उग्रसेन सिंगला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 04/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,20,905 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल कलस्टर क्षेत्रफल 55.00 हैक्टेयर तथा कलस्टर में कुल 55 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।

श्री दिवेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलकटर, भरतपुर एवं पधारे हुये समर्थन ग्रामों में अभिनंदन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, जबकि परियोजना से पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जन मानस की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाता है। दिवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की अनुमति से इकाई की परामर्शदाता श्रीगती कायनात अजीम द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में वातानि अधिक विस्तृत किया की पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खदान इंटरलिकड विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना पर व्यादिरण पर घड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सर्वप्रथम श्री फजरू, निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया है कि यदि उक्त खनन प्रक्रिया में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलता है तो उन्हें परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

तत्पश्यात् श्री अलीजान निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिये एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करें एवं उन्होंने बताया कि गाँव के निकट भन्दिर में वर्षाकाल के दौरान पहाड़ से आया हुआ पानी एकत्रित होता है वहाँ पर जल एकत्रण के लिये स्थायी व्यवस्था करवाई जाये एवं उस पानी को ग्रामीणों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जावे।

तदोपरांत श्री मंगलदेव निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिये 'एवं खदानों में काम करने वाले व्यक्ति व बीमार व्यक्तियों को निकटतम अस्पताल पहुँचाने के लिये एम्बूलेंस उपलब्ध कराई जाये।

श्री साजिद खान निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा जानना चाहा कि उक्त खनन पट्टा से स्थानीय लोगों को क्या फायदा होगा तथा खनन कार्य हेतु काम में लिये जाने वालों रास्तों पर धूल आदि के उड़ने को रोकने हेतु तथा खनन श्रमिकों हेतु किस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करवायी जावेंगी।

इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय परामर्शदाता श्रीमती कालानाथ अर्जीम द्वारा बताया गया है। इथानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जावेगा। आगे रस्तों पर धूल भी उड़ने से रोकने के लिये पानी के छिड़काव की उचित व्यवस्था टैकरों द्वारा करवाई जावेगी। खनन पट्टाधारी द्वारा प्रति वर्ष पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण आदि किया जावेगा। तत्पश्चात् श्रीमती खान ने कहा कि उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने में किसी भी प्रकार की अपत्ति नहीं है।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर द्वारा जानकारी दी गयी कि प्रस्तावित खदान परियोजना में रटोन कशिंग गतिविधि में प्रदूषण रोकथाम द्वारा व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया किया गया कि गतिविधि नियमानुसार ही की जायेगी तथा सभी आवश्यक प्रदूषण रोकथाम उपायों जैसे धूल तमन इत्यु. पानी का छिड़काव, मशीनों को ढकने एवं फब्बारे लगाने के साथ पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण गत्येक परियोजना प्रस्तावक द्वारा अलग-अलग कराया जाना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति दो इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत करायें।

तदुपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर ने समीक्षात्मक उद्योगधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखे गये विचार रिकॉर्ड किये गये हैं। आपके विचार व सुझाव/आपत्तियों सभी सम्मिलित उर्द्धवांशितों को भेजी जायेंगी, जिसके समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

अंत में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(विवेक गोयल)

क्षेत्रीय अधिकारी

रा.प्र.नि.मं., भरतपुर

(रतन कुमार)

अति. जिला कलेक्टर

भरतपुर, (राज.)

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हाईटेक के पांचे
श्यामा प्रसाद मुख्यमंत्री नगर, भरतपुर (राज)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मिशन समर्पित ग्रामला, मैसनरी रोडेन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा सम्बन्धी 04/2018, क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रत्यावर्ती उत्पादन क्षमता 2,20,905 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल वर्षान्तर क्षेत्रफल 55.00 हेक्टेयर तथा क्लरटर में कुल 55 खनन पट्टा समिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति वाली ग्रन युनिवार्ड दिनांक 22.02.2023 को 01:00 PM से 01:45 PM तक, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्रामीण पहाड़ी ग्राम भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

क्र.सं.	नाम	पत्ता	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1	रत्न कुमार	ADM अटेंडर		✓
2	Vivek Goel	RO, RBCS, Bharatpur	9530345500	
3	R.N. Mangu	ME, Bharatpur	9828897860	✓
4	Sajeev Singh	Ad. A.O	9413014189	✓
5	Narendra Singh JERO, RBCS, Bharatpur		9315665199	✓
6	Kaynaf Azam	CIRPL Udaipur	8003182518	✓
7	Dal Chand Dangi	CIRPL Udaipur	8003182518	✓
8	Waseem Khan	CIRPL Udaipur	9166059096	✓
9	Indrajit Singh	Paharwadi	9828380853	✓
10	Pushpendra Jain	H.P. Thakur	9518101010	✓
11	दीर्घिदेशन पाराडी	कुम गोपा	9929639584	✓
12	Gaurav Goyal	Pahari	9953272844	✓
13	देवराम राम	जिगारा	9057612532	दरबारी सुष्ठुप्ति
14	रमेश	दिव्या	981770944	✓
15	प्रभु	मकान	9198298903	✓
16	रामेश	विनायक	9578624000	211164
17	रामेश	विनायक	9872909279	✓
18	मराली रहु	रामेश	—	
19	नितीश		311101	
20	गोही	दिव्या	9350206548	✓

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण
जिन्दल होम्सीटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुख्यमंत्री नगर, भरतपुर (राज.)

मंडल

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मेरना उग्ररोन सिंगला, मैसनरी स्टोन माइन्स इंटरलिंकड विंड स्टोन क्रक्षर (खनन पट्टा संख्या 04/2018, क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की परस्परान्तर शेत्रफल 55.00 हेक्टेयर तथा प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रक्षर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल वर्षा जन सुनवाई दिनांक 22.02.2023 को 01:00 PM से 01:45 PM तक, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गोपाल तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

21	नारियर	9824584441	EM21	नारियर
22	स्टोन	7850878055	दृपरा	स्टोन
23	भाटला	9660125780	दृपरा	भाटला
24	Kew	9350186167	Chhapra	Kew
25	लूमारा	9660705641	दृपरा	लूमारा
26	इंडियल	968024388	Chhapra	इंडियल
27	स्टोन	9636892804	छपरा	स्टोन
28	बाली	7878205821	दृपरा	बाली
29	स्टोन	9571713689	दृपरा	स्टोन
30	अमरेन्द्र	7350100609	दृपरा	अमरेन्द्र
31	सेस्ट्रो फॉन	9350851558	प्रियांका	सेस्ट्रो फॉन
32	नरेश माहरा	9582729275	माहरा	नरेश माहरा
33	उम्मीद	9818428533	दृपरा	उम्मीद
34	RAMDEEP SINGH	7240193454	RAMSARH - Ramdeep	Ramdeep
35	प्रदीप	9130121	9982413535	प्रदीप
36	ज्ञान कुमार	9358257812	9358257812	ज्ञान
37	अमित रघुवीन	F.P. Thakur	9729867148	Amrit
38	Ashok kumar	F.P. Thakur.	9992383457	Ashok
39	Kamal Pathak	9750607330	दृपरा	Kamal
40	Achal Sharma	9439952656	दृपरा	Achal
41	रघुवीन	9130121	-	रघुवीन
42	लाला	9130121	-	लाला